कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन,
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 439/113/आउशि/निर्माण शाखा–6 /09 भोपाल, दिनॉक 14/5/09

प्रति,

प्राचार्य,
नीचे दर्शाये अनुसार,
शासकीय महाविद्यालय, (म.प्र.)

विषयः–वर्ष 2009–10 में शासकीय महाविद्यालयों को निर्माणाधीन भवनों की निरंतरता/अतिरिक्त निर्माण के लिए धनराशियों का आवंटन मॉग संख्या–41 ।

––0––

वित्तीय वर्ष 2009–10 में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत शासकीय महाविद्यालयों को भवन निर्माण निरंतरता/अतिरिक्त निर्माण हेतु महाविद्यालयवार निम्नानुसार धनराशियों का बजट आवंटन किया जाता है :– (राशि लाख रूपये में)

क	महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिल	स्वीकृत बजट राशि
1	शासकीय महाविद्यालय,	राजपुर	बड़वानी	20.63
2	शासकीय महाविद्यालय,	परसवाड़ा	बालाघाट	27.32
3	शासकीय महाविद्यालय,	आठनेर	बैतूल	19.10
4	शासकीय महाविद्यालय,	भैसदेही	बैतूल	20.30
5	शासकीय महाविद्यालय,	बिछुआ	छिंदवाड़ा	14.75
6	शासकीय महाविद्यालय,	दमुआ	छिंदवाड़ा	18.78
7	शासकीय महाविद्यालय,	शाहपुरा	डिण्डोरी	14.64
8	शासकीय महाविद्यालय,	छपारा	सिवनी	11.25
9	शासकीय महाविद्यालय,	बैहर	बालाघाट	15.00
			कुल	161.77

(राशि रूपये एक करोड़ इकसठ लाख सतहतर हजार मात्र)

उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या–41–4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय (01) सामान्य शिक्षा (203) विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 0102 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना 5086–32 लघु निर्माण कार्य महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण आयोजना वर्ष 2009–10 के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

2. स्वीकृत राशि प्राचार्य द्वारा तत्काल आहरण कर राशि शीघ्र निर्माण एजेंसी को सौंप कर कार्य निरंतर करावें एवं कार्य प्रति का मासिक प्रतिवेदन भेंजे ।

3. कई महाविद्यालय ऐसे है जिन्हें पूर्व में धनराशियॉ स्वीकृत की गयी हैं, परन्तु या तो धनराशियों का उपयोग निर्माण कार्य में अभी तक नहीं किया गया है या फिर अभी निर्माण कार्य प्रारंभ हीं नहीं हुआ हैं । इस प्रकार, स्वीकृत धनराशियों को अवरूद्ध रखा जा रहा है । यह स्थिति पूर्णतः आपत्तिजनक और शासकीय वित्त व्यवस्था के विपरीत है । इस आधार पर यदि महालेखाकार का आडिट आपत्ति इसमें आती है तो संबंधित प्राचार्य इसके लिए व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे ।

2/–

4. निर्माण एजेंसी से निरंतर संपर्क कर, माह जुलाई 2009 तक भवनों का निर्माण कार्य/अतिरिक्त निर्माण कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें ।

5. कार्य प्रगति का मासिक प्रतिवेदन भेजा जावे । सम्पूर्ण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त प्राचार्य अपने एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण एजेंसी अथवा निर्माण एजेंसी प्रमुख के संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी प्राचार्य की होगी ।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्र. 2140/113/आउशि/निर्माण शाखा–6/09, भोपाल, दिनॉक 14/5/09
प्रतिलिपिः–

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर सूचनार्थ ।
3. जिलाध्यक्ष ––––––––––––––––––(म.प्र.)
4. मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग, राजधानी परियोजना परिक्षेत्र सतपुड़ा भवन, भोपाल ।
5. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश ।
6. संयुक्त संचालक (वित्त), उच्च शिक्षा, बजट शाखा सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर उक्त राशि सर्वर में लोड कराने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति शासकीय महाविद्यालय –––––––––––––––––––– की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

संयुक्त संचालक (निर्माण)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.